

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/10/2020

रघुराज सिंह डागुर एडवोकेट पुत्र श्री विजयसिंह जाति जाट,न्यायालय परिसर (ए.सी.जे.एम.नम्बर-2,कोर्ट)के सामने ,नया बरामदा,भरतपुर ।

बनाम

तहसीलदार भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 30.01.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त रघुराज सिंह डागुर एडवोकेट पुत्र श्री विजयसिंह जाति जाट,न्यायालय परिसर (ए.सी.जे.एम. नम्बर-2,कोर्ट)के सामने ,नया बरामदा,भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 10.01.2020 को द्वारा तहसीलदार भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/40 दिनांक 20.01.2020 के द्वारा तहसीलदार भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में तहसीलदार भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/ 94 दिनांक 28.01.2020के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएँ तहसीलदार भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने तहसीलदार भरतपुर से सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/94 दिनांक 28.01.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाएँ उपलब्ध करा दी गई हैं। तहसीलदार भरतपुर ने अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक/8845 दिनांक 30.12.2019 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पों. ने अपीलांत को सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को भी भेजी जावे ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

